न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या–142/2014–15

श्रीमती सुशीला आदि

बनाम

श्री सोहन लाल आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।
एवं
श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता : श्री सी0एम0 असवाल।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत

मौजा देवीपुर मुल्या, तहसील रामनगर।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा द्वितीय अपील संख्या–03 वर्ष 2008–09 श्रीमती सुशीला आदि बनाम सोहन लाल आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 के पुनर्विलाकन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्री सोहन लाल ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रामनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे निर्णयादेश दिनांक 19–01–2000 से स्वीकार कर वाद डिकी किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व विशनदत्त ने अपर आयुक्त(न्याय), कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त द्वारा निर्णयादेश दिनांक 21–05–2001 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त एवं सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेशों के विरूद्व श्री विशनदत्त द्वारा राजस्व परिषद में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 से निरस्त की गई। विद्वान सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 के विरूद्व पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों को सुना गया एवं उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता का तर्क है कि अवर न्यायालयों द्वारा यह निर्णय देकर कानूनी त्रुटि की गई है कि विपक्षी सोहन लाल विवादित भूमि के संक्रमणीय भूमिधर हैं जबकि वास्तविकता में पुनर्विलोकनकर्ता के पिता स्व0 विशनदत्त ने प्रश्नगत भूमि रजिस्ट्री से दिनांक 13–06–79 को क्रय की थी और उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। विपक्षी सोहन लाल ने कभी भी अपीलकर्ता/पुनर्विलोकनकर्ता के कब्जे के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं की और न ही समयावधि के अन्तर्गत विवादित भूमि से बेदखली का वाद उनके विरूद्व योजित किया गया। वे विवादित भूमि पर 13–06–79 से निरन्तर काबिज काश्त हैं और

उनके द्वारा खरीदशुदा भूमि पर घर बनाया व पेड़ आदि लगाये गये थे। अवर न्यायालयों ने यह भी नहीं देखा कि प्रश्नगत भूमि का रकबा काफी अधिक है तथा विक्रय पत्र में उसकी सीमायें भी नहीं दी गई हैं और न ही कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों ने निशानदेही व पैमाईश करवाई गई। अवर न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि पुनर्विलोकनकर्तागण के पिता विवादित भूमि में वर्ष 1979 से लगातार काबिज हैं जबकि बेदखली का वाद वर्ष 1998 में दायर किया गया, बेदखली का वाद विधिनुसार छः वर्ष के अन्तर्गत दायर किया जाना चाहिए था।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि सोहन लाल ने ग्राम देवीपुरा मुलिया भूमि खसरा संख्या–4/2 मि0 रकबा 0.291 है0 अर्थात 04 बीघा 11 बिस्वा श्री दीवान सिंह पुत्र नन्दन सिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 02 जून, 1986 को क्रय की थी और क्रय की तारीख से ही वह इस भूमि पर काबिज है। इस विक्रय पत्र में श्री विशनदत्त स्वंय गवाह थे इस प्रकार साक्ष्या अधिनियम के तहत दिये गये प्राविधानों के अनुसार विशनदत्त इस विक्रय पत्र में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नहीं कर सकता था। सी0आर0पी0सी0 की धारा–145 की कार्यवाही से पूर्व वह विवादित भूमि का भूमिधर रहा है और सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही चलने के उपरान्त परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 01–01–97 के आधार पर पुलिस द्वारा उपरोक्त भूमि का कब्जा विशनदत्त व दिनेश चन्द्र को दे दिया जिसके कारण प्रतिवादी सोहन लाल द्वारा विशनदत्त के विरूद्व बेदखली का वाद योजित किया गया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है और अवर न्यायालयों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सोहन लाल ने वादग्रस्त भूमि से पुनर्विलोकनकर्तागण के पिता स्व0 विशनदत्त के विरूद्व बेदखली का वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रामनगर के न्यायालय में योजित किया जिसमें वाद बिन्दु सृजित करते हुए सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश से वादी सोहन लाल का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि से विशनदत्त एवं दिनेश चन्द्र को बेदखली के आदेश दिनांक 19–01–2000 पारित किये गये। इस निर्णयादेश के विरूद्व विशनदत्त ने अपर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णयादेश दिनांक 21–05–2001 से निरस्त हुई और इस निर्णयादेश के विरूद्व द्वितीय अपील राजस्व परिषद में योजित की गई जो विद्वान सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, नैनीताल द्वारा निर्णयादेश दिनांक 19–07–2014 से निरस्त की गई और इसके विरूद्व यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकरण में दिनांक 17–05–2002 को राजस्व कर्मियों द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन भी किया जाना परिलक्षित होता है जो द्वितीय अपील पत्रावली के पेपर नम्बर–80/2 पर उपलब्ध है। जाँच आख्या दिनांक 17–05–2002 से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर–04 रकबा 0.567 है0 माल अभिलेखों में सोहन लाल, गुड्डी देवी, जगतराम के नाम दर्ज है जबकि मौके पर विशनदत्त व जगतराम काबिज हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर–08, 12, 13, 14, 27 कुल रकबा 0.376 है0 गुड्डी देवी, विशनदत्त, गब्बर सिंह आदि के नाम माल अभिलेखों में दर्ज है जबकि मौके पर सोहन लाल, गब्बर सिंह, गुड्डी देवी व विशनदत्त आदि काबिज हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माल अभिलेखों में उक्त खसरा नम्बर जिसके नाम दर्ज है वह उसके विपरीत अन्य जगह पर काबिज है। अतः वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्थिति एवं मौंके पर पक्षकारों एवं अन्य व्यक्तियों के कब्जे आदि के सम्बन्ध में यह उचित होगा कि प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ, मण्डल, नैनीताल को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाय कि वे इस प्रकरण को परीक्षण वाद(Test Case) के रूप में लेते हुए मौके पर स्वंय जाकर उभयपक्षों एवं अन्य व्यक्ति जो मौके पर काबिज काश्त हैं तथा जिनके नाम

उक्त खसरा नम्बर माल अभिलेखों में दर्ज है की उपस्थिति में राजस्व अधिकारियों के साथ इस प्रकरण का निस्तारण समयबद्व रूप से तिथियाँ नियत करते हुए तीन माह अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन से इस न्यायालय को भी अवगत करायेंगे।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस आशय प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार प्रकरण का निस्तारण उभयपक्षों एवं सभी सम्बद्ध पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर मौके पर काबिज–काश्त व्यक्तियों तथा सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में समयबद्व रूप से तिथियाँ नियत करते हुए तीन माह अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करने तथा तद्नुसार निर्णय से इस न्यायालय को भी अवगत करायें।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 07-05-15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।